छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 423/2007</u>

श्री देवेन्द्र दानी,
ब्लॉक अध्यक्ष,
भारतीय किसान संघ, धमधा,
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग,
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: <u>आदेश</u> ::
(दिनांक 24 सितम्बर 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री देवेन्द्र दानी निवासी–दुर्ग के द्वारा आवेदन–पत्र दिनांक 16–10–2006 एवं 03–10–2006 के द्वारा वर्ष 1974 एवं 2005 के प्रश्नाधीन भूमि का बी–1, पाँचसाला खसरे की नकल, स्थल का नक्शा एवं संशोधन पंजी की प्रतिलिपि माँगी थी। आवेदन पत्र दिनांक 16–10–2006 के द्वारा पटवारी के द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर टीप लिखने के संबंध में पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही करने की माँग की थी। दिनांक 11–01–2007 को अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी माँगी, जिसमें छगन लाल पटवारी, हल्का नंबर–8 के विरूद्ध की गई शिकायत एवं जाँच से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 03–11–2006 में की गई कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग की। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा दिनांक 17–01–2007 को आवेदक को जानकारी दी गई कि पटवारी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत जाँच हेतु तहसीलदार, धमधा को भेजी गई है, जाँच प्रतिवेदन अपेक्षित है। इसी प्रकार आवेदन पत्र दिनांक 03–11–2006 के संबंध में माननीय न्यायालय में लंबित प्रकरणों से संबंधित है। न्यायालय में प्रकरण लंबित होने से प्रकरण में वांछित दस्तावेज अलग करने का विशेषाधिकार माननीय न्यायालय का है। इससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपीलीय अधिकारी अपर कलेक्टर दुर्ग के समक्ष दिनांक 19–01–2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा आदेश दिनांक 13–03–2007 के द्वारा आवेदक के द्वारा वांछित अभिलेख एवं पटवारी के विरूद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो जाँच की कार्यवाही की जाकर आवेदक को अवगत कराने एवं आवेदन पत्र दिनांक 03–11–2006 में माँग की गई जानकारी 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क दिये जाने का आदेश देकर अपील स्वीकार की गई।

2/ प्रथम अपील के आदेश के बाद भी 74 दिन बाद अपीलार्थी को अपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई तथा बी–1 की नकल उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि जन सूचना अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग ने जानबूझकर जानकारी विलम्ब से तथा अपूर्ण दी। अतः उनके विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावे। प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया तथा प्रतिअपीलार्थी ने नोटिस का जवाब दिनांक 26–06–2007 को प्रस्तुत किया। प्रतिअपीलार्थी ने यह भी बताया कि दिनांक 23–03–2007 को समस्त जानकारी निःशुल्क अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है। अपीलार्थी ने अपील में बहस के समय यह भी उल्लेख किया था कि अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होने पर अवलोकन शुल्क माँगा गया जबकि संबंधित लिपिक श्री अशोक शर्मा के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित होकर उसने अभिलेखों के अवलोकन की माँग नहीं की। प्रकरण में प्रारंभिक रूप से यह पाया गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के पश्चात् भी अपीलार्थी को वांछित अभिलेख की प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं कराई गई है और न ही इस हेतु प्रयास किया गया। अतः आयोग के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–20(1) के अंतर्गत प्रतिअपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि उसके विरूद्ध क्यों न 5,000/–रुपये अर्थदण्ड आरोपित किया जावे। प्रतिअपीलार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया तथा दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं तर्कों पर विचार किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने सन् 1974 एवं 2005 के प्रश्नाधीन भूमि के पंचसाला खसरे की नकल, संशोधित पंजी आदि की जानकारी चाही थी। उसके द्वारा दिनांक 11–01–2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम अंतर्गत जानकारी के लिये आवेदन दिया गया था। प्रथम अपीलीय अधिकारी अपर कलेक्टर,दुर्ग के द्वारा आदेश किये जाने के पश्चात् पत्र क्रमांक 188 दिनांक 23–03–2007 के द्वारा 48 पेज की जानकारी अपीलार्थी को दी गई। साथ ही तहसीलदार, धमधा के द्वारा जानकारी दी गई। अपीलार्थी को निःशुल्क अभिलेख अवलोकन करने के लिये सूचित किया गया, किन्तु अपीलार्थी अभिलेख के अवलोकन के लिये उपस्थित नहीं हुये। दिनांक 03–11–2006 के आवेदन पत्र में कोई शुल्क जमा नहीं किया गया था, अतः वह सूचना का अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है तथा यह आवेदन पत्र राजस्व न्यायालय से संबंधित था। दिनांक 11–01–2007 का आवेदन पत्र सूचना का अधिकार के अंतर्गत मान्य किया जा सकता है। प्रतिअपीलार्थी ने यह बतलाया कि पटवारी हल्का के विरूद्ध की गई जाँच से संबंधित दस्तावेज अपीलार्थी को दिनांक 28–06–2007 को प्रेषित किये गये। इस प्रकार अपीलार्थी को सभी वांछित जानकारियाँ प्रदान की गई। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसे विलम्ब से तथा अपूर्ण जानकारी दी गई। अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र में तथा किसी अभिलेख में यह स्पष्ट नहीं किया है कि कौन सी जानकारी अपूर्ण दी गई है। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि पटवारी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अभिलेख में अपनी ओर से जो टीप लिखी है उस संबंध में पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही होनी चाहिये। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्र दिनांक 11–01–2007 के द्वारा पटवारी के विरूद्ध तहसीलदार, धमधा को जाँच हेतु शिकायत भेजे जाने की जानकारी अपीलार्थी को दी गई तथा आवेदन पत्र दिनांक 03–11–2006 से संबंधित प्रकरण न्यायालय से संबंधित होने के कारण न्यायालयीन तिथि की जानकारी आवेदक को दी गई। पटवारी से संबंधित जाँच की कार्यवाही की रिपोर्ट की प्रतिलिपि अपीलार्थी को भेज दी गई। अपीलार्थी ने बी–1 की नकल भी नहीं दिये जाने का उल्लेख किया है, इस संबंध में प्रतिअपीलार्थी का यह तर्क है कि बी–1

वर्ष 1974 की माँगी गई, जो कि रिकार्ड रूम प्रभारी के पत्र के अनुसार उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी को निःशुल्क जानकारी दी गई है तथा अभिलेखों का अवलोकन करने के लिये भी अवसर दिया गया था।

4/ उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को कार्यालय में उपलब्ध वांछित दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान कर दी गई है। वर्ष 1974 के बी–1 की नकल कलेक्टोरेट के रिकार्ड रूम में ही उपलब्ध नहीं है, अतः जो अभिलेख उपलब्ध नहीं है, उसकी प्रमाणित प्रति दिया जाना संभव नहीं है। पटवारी की जाँच से संबंधित सभी अभिलेखों की प्रतियां अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है। यह अवश्य है कि जानकारी विलम्ब से उपलब्ध कराई गई है, किन्तु विलम्ब से जानकारी उपलब्ध कराने का आधार द्वेषवश अथवा जानबूझकर विलम्ब से देने का नहीं रहा। क्योंकि प्रकरण न्यायालयीन प्रकरण से संबंधित रहा तथा तहसीलदार, धमधा के द्वारा जाँच की जा रही थी, इस संबंध में भी अपीलार्थी को निर्धारित अवधि के अंदर ही जानकारी दे दी गई थी। आयोग के निर्देश के पश्चात् भी अपीलार्थी को अभिलेख का अवलोकन करने का भी अवसर दिया गया तथा दस्तावेज भी उपलब्ध कराये गये। अतः यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिअपीलार्थी ने जानबूझकर विलम्ब से प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध कराये। अतः प्रतिअपीलार्थी अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग के विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का औचित्य नहीं है, अतः उनके विरूद्ध पूर्व में अर्थदण्ड हेतु जारी किया गया कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है। यह अवश्य है कि अपीलार्थी को विलम्ब से जानकारी उपलब्ध होने में आर्थिक/मानसिक क्षति हुई है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत विभाग की ओर से 250/–रुपये (दो सौ पचास रुपये) की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जावे।

5/ उपरोक्त निर्देशों के साथ अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त